(प्रतिलिपि आदेश दिनांक 19.06.2026)

न्यायालयः– पन्द्रहवें जिला न्यायाधीश, ग्वालियर (म0प्र0)

समक्ष : कपिल सोनी

Registration No.	:	MJC 438/2026
Filing No.	:	3463/2026
CNR No.	:	MP0701-013569-2026
Filling Date.	:	15-06-2026

हरेन्द्र सिंह भदौरिया पुत्र किशोर सिंह भदौरिया, आयु 39 वर्ष, निवासी ग्राम चराई श्यामपुर, तहसील घाटीगांव जिला ग्वालियर (म0प्र0) हाल निवासी– पी एण्ड टी कॉलोनी, ठाटीपुर, मुरार जिला ग्वालियर (म0प्र0)

.... **आवेदक**

:: **वि रू द्ध** ::

1. सर्वसाधारण
2. श्रीमती रत्ती बाई पत्नी स्व0 जगमोहन, आयु 60 वर्ष,
3. नगले पुत्र स्व0 जगराम, आयु 40 वर्ष, निवासीगण–ग्राम खोड़वाडी, तहसील नरवर जिला शिवपुरी (म0प्र0)

.... **अनावेदकगण**

पुनश्च (19.06.2026)

आवेदक हरेन्द्र सिंह की ओर से श्री जे.एस. कौरव अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदकगण अनिर्वाहित/तलब नहीं।

प्रकरण मूल अभिलेख प्राप्ति हेतु पेश हुआ।

मूल अभिलेख एम.जे.सी. सक्सेशन प्रकरण क्रमांक 68/2025 उन्वान हरेन्द्र विरूद्ध सर्वसाधारण आदि, खारजा दिनांक 04.06.2026 प्राप्त।

आवेदक की ओर से आवेदन अधीन आदेश 13 नियम 9 व्य.प्र.सं. प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रकरण में उसके द्वारा प्रदर्श पी 01 लगायत प्रदर्श पी 9 के असल दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे, प्रकरण का निराकरण दिनांक 04.06.2026 को हो जाने से आवेदक उक्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति अभिलेख में संलग्न कर मूल दस्तावेजों को प्राप्त करना चाहता है।

आवेदक की ओर से प्रश्नगत आवेदन पत्र के साथ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रदर्श पी. 01, खसरा वर्ष 2025–26 प्रदर्श पी.02, भू–अधिकार ऋण पुस्तिका प्रदर्श पी.03, वसीयतनामा प्रदर्श पी.04, जगराम का मृत्यु प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. 05, जगराम का आधारकार्ड प्रदर्श पी. 06, हरेन्द्र का आधारकार्ड प्रदर्श पी.07, हरीसिंह का आधारकार्ड प्रदर्श पी. 08 एवं धर्मेन्द्र सिंह का आधारकार्ड प्रदर्श पी 09 की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ पेश की है।

सुना गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि आवेदक की ओर से मूल एम.जे.सी. एसयूसी नं. 68/25 में असल दस्तावेज रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रदर्श पी. 01,

खसरा वर्ष 2025–26 प्रदर्श पी.02, भू–अधिकार ऋण पुस्तिका प्रदर्श पी.03, वसीयतनामा प्रदर्श पी.04, जगराम का मृत्यु प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. 05, जगराम का आधारकार्ड प्रदर्श पी. 06, हरेन्द्र का आधारकार्ड प्रदर्श पी.07, हरीसिंह का आधारकार्ड प्रदर्श पी. 08 एवं धर्मेन्द्र सिंह का आधारकार्ड प्रदर्श पी 09 पेश किये गये रहे हैं। चूंकि प्रकरण का दिनांक 04.06.2026 को निराकरण हो चुका है तथा आवेदक ने अग्रिम कार्यवाही बावत् प्रदर्शांकिंत मूल दस्तावेजों की आवश्यकता होना कहा है इसलिये प्रकरण में प्रस्तुत उपरोक्त असल दस्तावेज आवेदक को वापिस किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रकरण की परिस्थितियों में आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अधीन आदेश 13 नियम 9 व्य.प्र.सं. मंजूर किया जाता है और आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र/वचन पत्र पेश किया जाता है कि उपरोक्तानुसार मूल दस्तावेजों की अपील या अन्य किसी योग्य कार्यवाही में आवश्यकता होने पर वह अविलंब ही मूल दस्तावेजों का पेश किया जाना सुनिश्चित करेगा, तो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रदर्श पी. 01, खसरा वर्ष 2025–26 प्रदर्श पी.02, भू–अधिकार ऋण पुस्तिका प्रदर्श पी.03, वसीयतनामा प्रदर्श पी.04, जगराम का मृत्यु प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. 05, जगराम का आधारकार्ड

प्रदर्श पी. 06, हरेन्द्र का आधारकार्ड प्रदर्श पी.07, हरीसिंह का आधारकार्ड प्रदर्श पी. 08 एवं धर्मेन्द्र सिंह का आधारकार्ड प्रदर्श पी 09 की प्रमाणित प्रतिलिपियों को अभिलेख पर लिया जाकर ये असल दस्तावेज आवेदक को वापिस किये जावे और जिनकी पावती आदेश पत्रिका की मार्जिन पर ली जावे।

प्रकरण समाप्त।

इस आदेश पत्रिका की एक प्रति मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर मूल अभिलेख दाखिल रिकॉर्ड हो।

प्रकरण का परिणाम सीआईएस सॉफ्ट्वेयर में दर्ज कर विहित अवधि में दाखिल अभिलेखाागार हो।

सही/–

कपिल सोनी

पन्द्रहवे जिला न्यायाधीश,

ग्वालियर (म0प्र0)